उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–02,
संख्या– — /V–2–2017–60(आ0)/2015
देहरादून : दिनांक 31 जनवरी, 2017

संशोधन

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियमित क्षेत्र हल्द्वानी–काठगोदाम को अधिसूचना संख्या–1872/V–2/60(आ0)15/2016, दिनांक 21.12.2016 द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी–काठगोदाम के रूप में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– उक्त् अधिसूचना में त्रुटिवश सचिव के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट, नैनीताल के स्थान पर अपर जिलाधिकारी, नैनीताल टंकित हो गया है।

3– अतः अधिसूचना संख्या–1872/V–2/60(आ0)15/2016, दिनांक 21.12.2016 के प्रस्तर–2 में अपर जिलाधिकारी, नैनीताल के स्थान पर सिटी मजिस्ट्रेट, नैनीताल पढा व समझा जाए।

4– अधिसूचना संख्या–1872/V–2/60(आ0)15/2016, दिनांक 21.12.2016 की अन्य शर्ते /प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– — /V–2–2017–60(आ0)/2015–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेद्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–128(2)/V–2–2017–60(आ0)/2015–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं, पौडी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, नैनीताल।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– सिटी मजिस्ट्रेट, नैनीताल
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेद्र सिंह रावत)
उप सचिव

564
3-2-17